दैनिक **न्याय साक्षी**

खबरें खास

रायगढ़, गुरुवार 25 जुलाई 2019

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक अनिल अग्रवाल द्वारा आज दिनांक 23.07.19 को अप.क्र. 117/19 धारा 376 भादंवि एवं 4, 6 पॉस्को एक्ट के आरोपी जितेन्द्र राठिया पिता जीवन लाल राठिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बेहरामार थाना छाल जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जितेन्द्र राठिया 02 वर्ष पूर्व से शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था। बालिका द्वारा शादी करने को कहने पर शादी से इंकार करने पर बालिका द्वारा थाना छाल में दिनांक 18-07-19 को उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

मोटर सायकल पर महुआ शराब परिवहन कर रहा युवक पकड़ा, 20 लिटर शराब जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर दुर्गापुर चौक पर बिना नम्बर मोटर सायकल फैशन प्रो में शराब परिवहन करते हुये श्याम विश्वास पिता अशोक विश्वास निवासी धरमजयगढ़ कालोनी को पकडे। श्याम विश्वास के पास से प्लास्टिक डिब्बा में रखा हुआ 20 लिटर हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रूपये जप्त किया गया। आरोपी श्याम विश्वास के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में अप.क्र. 118/19 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वनविभाग की टीम ने पकड़ा जंगली हाथी

न्याय साक्षी/रायगढ़। धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल वनपरिक्षेत्र में बेहरामार के जंगल में वनविभाग की टीम ने जंगली हाथी को पकड़ा है। धरमजयगढ़ वनमंडल की टीम मौके पर मौजूद है। बीते कई माह से इस क्षेत्र में नर दंतैल ने उत्पात मचा रखा था फ़िलहाल जिस हाथी को पकड़ा गया है,वो वही नर दंतैल है अथवा दूसरा इस बात की पुष्टि अभी तक नही हो पाई है।

कोतवाली, जूटमिल राइनो स्टाफ हुए पुरस्कृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस मुख्यालय नया रायपुर द्वारा राज्य में संचालित आपातकालिन सेवा डॉयल 112 के ईआरवी (इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल) द्वारा माह अप्रैल 2019 में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षा में जिले के कोतवाली राइनो-1 तथा कोतवाली (जुटमिल) राइनो-2 का कार्य निर्धारित मापदंड अनुसार अन्य राइनो स्टाफ से बेहतर पाया गया। इन ईआरवी वाहन के आरक्षक व वाहन चालक के उत्साहर्वन हेतु उन्हें नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करने के लिये आज पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा अपने कक्ष में कोतवाली राइनो-1 एवं 2 स्टाफ को बुलाये, पुरस्कृत होने वाले कोतवाली के आरक्षक महेंद्र कुमार कर्ष एवं जुटमिल के आरक्षक अनूप तिग्गा को 500-500 रूपये व प्रशस्ति एवं ईआरवी वाहन के चालक रोशन लहरें व भरत भारद्वाज को 250-250 रूपये व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात आर.के. मिंज, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन. सिंह, चौकी प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, प्रभारी डायल 112 प्रेमसाय भगत, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक (वायरलेस) पुष्पेंद्र कुमार तथा जिला प्रबंधक (टीपीएल) दुर्गेश टंडन उपस्थित थे।

पेंशनरों ने रायपुर में किया धरना प्रदर्शन

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ रायगढ़ के अध्यक्ष राजीव रत्न चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेशनर फेडरेशन रायपुर के आव्हान रायपुर बुढ़ा तालाब के पास विगत 10 जुलाई को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग 3500 पेंशनरों ने एक दिवसीय धरना दिया।

पेंशनर संघ ने जिन बिंदुओं पर मांग को लेकर धरना दिये थे। इनमें राज्य पुर्नगठन की अधिनियम की धारा 49 को हटाकर पेंशनरों के आर्थिक स्वतत्वों को बटवारा किया जाए। स्टेट बैंक के कुप्रबंधन के कारण लंबित छ.ग.राज्य शासन द्वारा मार्च 2019 व अप्रैल 2019 को जारी महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत का भुगतान राज्य के पेंशनरों को तत्काल किया जाए और स्थायी समाधान हेतु भारतीय स्टेट बैंक भोपाल स्थित सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (सीपीपीसी)की स्थापना छ.ग.राज्य में करने की कार्यवाही की जाए। दिनांक 1.1.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को सातवें वेतनमान का 27 माह का एवं छठवें वेतनमान का लंबित 32 माह का एरियर्स देने का आदेश प्रसारित किया जाए। केन्द्र द्वारा 1.1.2019 से दिए गए 3 प्रतिशत महंगाई राहत राशि का आदेश जारी किया जाए एवं केन्द्र के समान एक हजार रुपए मेडिकल भत्ता पेंशनरों को दिया जाए। सभी जिलों में पेंशनरों के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाने की कार्यवाही की जाए। पीपीओ जारी करने का अधिकार संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से हटाकर जिला कोषालय में किया जाए। राज्य स्तरीय पेंशनर कल्याण मंडल का पुर्नगठन करने की कार्यवाही कर नियमित बैठक आयोजित किया जाए। पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 में संशोधन कर देय राशि में वृद्धि किया जाए। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतनवृद्धि की पात्रता दी जाए। रिटायरमेंट पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण करने के स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। राज्य स्तरीय पेंशन कल्याण मंडल का पुर्नगठन करने की कार्यवाही कर नियमित बैठक आयोजित किया जाए। चौबे ने बताया कि रायगढ़ जिले से पेंशनरों ने भी धरना आंदोलन में भाग लिया। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो जिला स्तर पर धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा।

कैश काउण्टर से कैश चोरी, होटल के कर्मचारी पर चोरी का संदेह

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ अन्तर्गत भारत माता चौक के पास ठाकुर बिरयानी सेंटर के संचालक अभय सिंह ठाकुर उम्र 49 वर्ष द्वारा दिनांक 22.07.19 को थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.07.2019 के शाम करीब 05:00 बजे इसके दोस्त मुस्तकीम खान मजदूरों को देने के 90,000 रूपये दिया था जिसे अपने केश काउंटर रखा और काउंटर का ताला बंद कर चाबी रखकर होटल को रात्रि करीब 12:00 बजे बंद कर घर चला गया होटल के अंदर काम करने वाले किशोर,कमल सिदार ,रमेश सोये हुये थे रात्रि 02 से 03 बजे के बीच मे शटर खुलने की आवाज आने पर कमल सिदार उठकर देखा तो दरवाजा का शटर करीबन 01 फिट खुला हुआ था, आसपास कोई नहीं दिखा तो जाकर सो गया। दिनांक 22.07.2019 के प्रातः 07:30 बजे कमल सिदार देखा तो केश काउंटर का ताला टुटा हुआ था। अभय सिंह ठाकुर होटल आकर केश काउंटर को देखा तो ताला टुटा हुआ था काउंटर में रखा हुआ नगदी 90,000 रूपया नही था तब होटल में लगा हुआ सीसीटीव्ही कैमरा को देखे तो होटल में काम करने वाला गजेन्द्र उर्फ मोहन सिदार निवासी बसना सराईपाली चोरी करते हुये दिखा। चोरी के रिपोर्ट पर अप.क्र. 329/19 धारा 381 भादंवि संदेही गजेन्द्र उर्फ मोहन के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है जो फरार है, पतासाजी की जा रही है।

बिजली करेंट बिछाकर उपेक्षापूर्ण कार्य करने वाले चारो आरोपी जेल दाखिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर के गुम इंसान क्रमांक 54/19 के जांच में पाया गया कि दिनांक 19.07.19 के रात्रि में 12 से 01 बजे के मध्य गुम इंसान बोधीराम निषाद अपने घर से अपने साथी श्याम अगरिया, राजेन्द्र राठिया एवं विद्याधर के साथ जंगल तरफ लकड़ी लेने जा रहा था कि ईंट भट्ठा के पास बरगद पेड़ के नीचे ग्राम बादपाली के निर्मल राठिया, अर्जुन राठिया, सुरेन्द्र राठिया एवं सरमू राठिया द्वारा बिजली खम्भा से सेन्ट्रींग तार से करेंट लेकर सुअर मारने के लिए फंदा डाले थे जिसमें फंसकर गुम इंसान बोधीराम निषाद फौत हो गया। जांच पर फंदा लगाने वाले के विरूद्ध दिनांक 21.07.19 को थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 273/19 धारा 304, 201, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर आरोपी (1) निर्मल राठिया पिता चैतराम उम्र 25 साल (2) अर्जुन राठिया पिता श्याम राठिया उम्र 19 साल (3) सुरेन्द्र राठिया पिता सुखीराम राठिया उम्र 24 साल (4) सरमू राठियापिता चैतन राठिया उम्र 25 साल सभीनिवासी बादपाली थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, माननीय न्यायालय से आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल किया गया है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री श्यामल श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480